

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/नियुक्ति-रावि/पीएससी-15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक - 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 12014/2020 मंगलाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में अभ्यर्थी सुनीता शर्मा द्वारा रिट दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12014/2020 मंगलाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 द्वारा याचिकार्थी सुनीता शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका को एस बी सी याचिका संख्या-7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक-16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या-19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं-7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक-16.07.2014 में आदेशित किया है " of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी सुनीता शर्मा अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	Sunita Sharma	21.01.1986	1374	24.08.2018	27.08.2018 (After Noon)

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी मेरिट क्रमांक -2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि रेपडावास, सोजत,पाली में दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 12014/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 12.11.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी (मेरिट क्रमांक-2021) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेशदिनांक 10.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

Signature valid

Digitally signed by Karan Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.02 17:38:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4142645



मीनाक्षी द्वारा परीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड—पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा/मा/संस्था/सी—6/रावि/12014/2020

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

- 01— विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
- 02— विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
- 03— निजी सचिव, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
- 04— संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 05— संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 06— सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय—हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 07— संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि।
- 08— संबंधित कार्मिक।
- 09— निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा निदेशक

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.07.02 17:38:23 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4142645



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :—शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/नियुक्ति-रावि/पीएससी-15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक-09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 1072/2021 सुभाष चन्द्र एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1072/2021 सुभाष चन्द्र एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2021 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका को एस बी सी याचिका संख्या-7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक-16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या-19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं-7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक-16.07.2014 में आदेशित किया है "of the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण सुभाष चन्द्र एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	Subhash Chandra	18.03.1987	1211	28.08.2018	04.09.2018
2	Bhupendra singh	04.05.1979	1136	28.08.2018	04.09.2018
3	Fateh chand	05.07.1983	1794	24.08.2018	27.08.2018
4	rajendra kumar verma	06.07.1986	1719	24.08.2018	27.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी मेरिट क्रमांक -2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि रेपडावास, सोजत,पाली में दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश किया गया दिनांक 1072/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 18.01.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

Signature valid

Digitally signed by Karan Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.02 17:44:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3897466



राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी (मेरिट क्रमांक-2021) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

मीनाक्षी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/या. 1072/2021

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
- 02- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
- 03- निजी सचिव, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
- 04- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 05- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 06- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनाथ
- 07- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि।
- 08- संबंधित कार्मिक।
- 09- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा निदेशक

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.02 17:44:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3897466

